HEETI 70 70 70





नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

पत्रावली संख्या जी-36140

नवीनीकरण संख्या-575 /2020-2021

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता हैं कि विन्ध्यवासिनी शिक्षा एवं जन सेवा संस्थान ग्राम व पो0- कौड़ीराम, जनपद- गोरखपुर, उ०प्र०।

को दियं गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पन सख्या- 24/2004-2005

दिनांक 07/04/2004 को दिनांक 07/04/2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

2750.00 रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक: 06.03.2021

िर्ग्या २१२५ प्रबन्धक गंगा देवी इण्टर कालेज डिघवा-कौडीराम-गोरखपुर सोसाइटी के रजिस्ट्रार,


विन्हा वर्गिनी क्रिया एक जात्मका कारणा जी उद्याग गात कपम्ह- क्रीडीया



172. 12-04.04 DE ROLEMAND 18 FILL & HAVE







ন্দৃদ্ধানি ক্রিক্টার ক্রিক্টার নিজ্ঞানী ক্রিক্টার ক্রিক্টার नियमाना जी उदाप एट जा मेंगा कियमाना जी उदाप का जिल्ला की उदाप के क्या के क्या



133.1301.00 25 Brown all talfings



1 Total Commence

म्पूर्वाची सम्बद्धाः भूगी तथः भित्राची क्रिक

स्मृति-पत्र

संस्था का नाम 1.

विन्ध्यवासिनी हिरक्षा एवं जनसेवा संस्थान

संस्था का पूरा पता 2.

ग्राम व पोस्ट-कौड़ीराम,

त्नपद-गोरखपुर (उ०प्र०)

संस्था का कार्य क्षेत्र 3.

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

संस्था के उद्देश्य

शैक्षिक उन्नयन के लिये प्रौढ़ शिक्षा तथा बालवाड़ी की व्यवस्था करना। (1)

जन स्वास्थ्य एवं बौद्धिक विकास हेतु कार्य करना।

क्षेत्र को सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयत्न करना। (3)

वन एवं पर्यावरण के सुरक्षा हेत् प्रयत्न करना एवं उनके विकास कार्य करना। (4)

क्षेत्र के गरीब तथा कमजोर वर्ग को शोषण से मुक्ति दिलाकर आत्मनिर्भर करना। (5)

महिला एवं बाल शोषण के विरूद्ध कार्य करना एवं उनका विकास कर सम्नाज के

मुख्य धारा से जोड़ना।

में किसी भी आकस्मिक संकट के समय यथासंभव सहायता करना।

र्स्भिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अनुदान, उपहार, चन्दा, ऋण प्राप्त करना। यदि! आवश्यक हो तो भूमि एवं भवन प्राप्त एवं संस्था के धन को यथाविधि व्यय

जन-जागरण हेतु उचित प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करना एवं उनके लिये पुस्तकालय की स्थापना करना।

(10) स्वच्छता के प्रतीक सुलभ शौचालयों का निर्माण करना जिससे ढोने की कुप्रथा का अन्त हो सके।

(11) बालिकाओं के शिक्षा हेतु विद्यालयों का संचालन करना।

(12) एड्स के उन्मूलन हेतु प्रचार-प्रसार के माध्यम से नागरिकों को जागरूक करना।

(13) गरीब एवं मलिन बस्तियों के जीर्णोद्धार करना एवं उनका निर्माण करना, गरीबों को आत्मनिर्भर करके उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना

क्रमशः.....

W12-011 514

- (14) बालिकाओं के लिये सिलाई-कढ़ाई, बुनाई पेटिंग, फल संरक्षण, रेक्सो कला, गृह निर्माण, अचार, मुरब्बा, जेम जेली, बिरकुट, टोमैटो, कैचप आदि का प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- (15) सरकार की सहायता से गाँवों एवं शहरों में विकास हेतु पेय जल, शौचालय, नाली, सड़क पिच, खड़ंजा, पार्क शिविर भवन निर्माण की व्यवस्था करना व मिलन बिस्तियों की सफाई का कार्य करना व सम्पूर्ण स्वच्छ अभियान का संचालन।
- (16) ग्रामीण जल आपूर्वि की योजनाओं, हैण्ड पम्प, ट्यूबेल, कुएँ तथा पेय जल जैसी समस्याओं का निःशुल्क क्रियान्वयन एवं विकास करना।
- (17) समाज के पिछड़े वर्ग हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण जैसे कम्प्यूटर शिक्षा आदि का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करना तथा मेडिकल, पालिटेक्निक, तकनिकी विद्यालय, व्यवसायिक विद्यालयों की स्थापना करना।

रोजगारी को दूर करने के लिये बालिकाओं के लिये जेम जेली, बिस्कुट, पूर-मुरब्बा, टोमैटो, कैचप, ब्यूटी पार्लर आदि का प्रशिक्षण देकर रोजगार के बेवसर उपलब्ध कराना।

19) परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम निःशुल्क परिवार कल्याण कार्यक्रमों को गावों में व्यापक स्तर से संचालित करना, बच्चों के टीकाकरण के लिये सहयोग प्रदान करना तथा चिकित्सा संबंधी कार्यक्रमों का निःशुल्क संचालन करना।

(20) राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीयसरकारों से ऋण, चन्दा, दान, अनुदान प्राप्त करना।

(21) पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गीपालन से संबंधित सारे योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुँचाना तथा इनसे फैलने वाली बीमारियों के रोक—थाम हेतु समय—समय पर टीकाकरण आदि की व्यवस्था करना।

(22) जीव-जन्तुओं से संबंधित समस्त कार्यक्रमों का संचालन करना एवं जानकारी देना।

वीषावृद्धीय तथा थिवः कोषावृद्धीय तथा थिवः क्रमशः.....

मुन्तान राप जीना राप सुनि जुमार राप पुल्यान राप सुनि जुमार राप पुल्यान राप पुल्यान राप पुल्यान राप पुल्यान राप सुनि जुमार राप पुल्यान राप

- (23) उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी, अर्ध सरकारी संस्थाओं से सहायता प्राप्त करना ।
- (24) विकलांग बालक एवं बालिकाओं के लिये विद्यालयों की स्थापना करना एवं निःशुल्क शिक्षा एवं उपकरण का प्रबन्ध करना।
- (25) कुष्ठ रोगियों के लिये कुष्ठ आश्रम का प्रबन्ध करना तथा उसकी देखभाल करने के लिये प्रयत्नशील रहना।

172011 214

Mai

Tronta 214

T



ज्यानक पविष्कार जन्म वीसाइटीप तथा चित्र जिल्लाक बोगायाम

(4)

5. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम / पिता का नाम पता, पद तथा व्यवसाय जिनकों संस्था के द्वारा कार्यभार सौंपा गया है।

क्र0सं0	नाम / पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री मारकण्डेय राय पुत्र	ग्राम व पो0–कौड़ीराम	अध्यक्ष	समाज सेवा
	श्री राम नरेश राय	गोरखपुर।		S -1
2	श्री राम नरेश राय पुत्र	ग्राम व पो0-कौड़ीराम	उपाध्यक्ष	समाज सेवा
	स्व0 शिवबली राय	गोरखपुर।		
3	श्रीमती अरूणा राय पत्नी	ग्राम व पो०–कौड़ीराम	मंत्री /	व्यापार
	श्री मारकण्डेय राय	गोरखपुर।	प्रबन्धक	3347-1,343
4	श्री गुलाब राय पुत्र	ग्राम व पो०-हरैया	कोषाध्यक्ष	समाज सेवा
	स्व0 बृज बिहारी राय	जिला–आजमगढ़		
5	श्री सुधीर कुमार राय पुत्रः	ग्राम व पो०-अमिला	सदस्य	कृषि
	स्व0 जयप्रकाश राय	जिला–मऊ		
6	श्री उमेश राय पुत्र	म व पो०-अमिला	सदस्य	समाज सेवा
	स्व० जयप्रकाश राय	जिर – मऊ	-21	
7	श्री अरविन्द कुमार 📲 पुत्र 💮	गा - लट्ठूडीह	सदस्य	समाज सेवा
	श्री नागेन्द्रं प्रसाद 🎇 💹	पो0 क्रीमुद्दीनपुर, गाजीपुर		
8	डा० दुर्गेश राय पुत्र	ग्राके यो०-अमिला	सदस्य	समाज सेवा
	स्व0 जयप्रकाश राय	जेलां–मऊ	1000000000	
9	श्रीमती गीता राय पत्नी	ग्राम-लट्ठूडीह	सदस्य	कृषि
	श्री अरविन्द कुमार राय	पो०-करीमुद्दीनपुर, गाजीपुर		. 'č'

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता संस्था के उपरोक्त स्मृति—पत्र एवं संलग्न नियमावली के अनुसार संस्था का रजिस्ट्रेशन धारा 21 सन् 1860 के अनुसार करवाना चाहते है।

दिनांक:-



भातम्ब का कम किन्द्राय वा किन्द्राय भागि किन्द्राय

को सन् 1860 के जाधनियस अपनियस अपनियस

बहायक निवन्त्रन समितिक क्तर प्रवेश, गोरसपुर

अजिति। प्रम

really as a series

1 की की m

निमयावली

संस्था का नाम 1.

विन्ध्यवासिनी विक्षा एवं जनसेवा संस्थान

2.

ग्राम व पोस्ट–कौड़ीराम,

संस्था का पूरा पता

जनपद–गोरखपुर (उ०प्र०)

संस्था का कार्य क्षेत्र 3.

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

संस्था के उद्देश्य

स्मृति-पत्र के अनुसार

आजीवन सदस्य:-

जो व्यक्ति संस्था को एक बार 1,151/- रूपया निःस्वार्थ भाव से देगा। संस्था का आजीवन सदस्य माना जायेगा। चार सदस्य निर्वाचित होकर प्रबन्ध समिति के सदस्य होंगे।

शिष्ट सदस्य:-

समिति के प्रति हितैषी भाव रखने वाला सम्मानित व्यक्ति आवश्यकता पर संस्था को 1,100/- (ग्यारह सौ) वार्षिक रूप से सहायता देने वाला व्यक्ति संस्था का विशिष्ट सदस्य माना जायेगा। तीन सदस्य निर्वाचित होकर प्रबन्ध समिति के सदस्य होंगे।

साधारण सदस्य:-

समिति के प्रति उद्देश्यों में रुवि रखने वाला कोई भी व्यक्ति जो संस्था को 501 / – रूपये वार्षिक शुल्क अदा करेगा। वह साधारण सदस्य माना जायेगा। दो सदस्य निर्वाचित होकर प्रबन्ध समिति के सदस्य होंगे।

सदस्यता की समाप्त:-

सदस्यता की समाप्ति निम्नलिखित रूप से खतः मानी जायेगी।

- सदस्य व्यक्ति की मृत्यु होने पर।
- सदस्य व्यक्ति के पागल होने पर।
- सदस्य व्यक्ति के दिवालिया होने पर।
- सदस्य व्यक्ति के न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर।
- संस्था का शुल्क न देने पर। (5)
- सदस्य व्यक्ति द्वारा लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर।
- संस्था के उद्देश्यों के विरूद्ध कार्य करने पर।

क्रमशः.....



7. संस्था के अंग:-

- (अ) साधारण सभा
- (ब) प्रबन्धकारिणी समिति

साधारण सभा:-

गठनः संस्था के सभी सदस्य मिलकर साधारण सभा का गठन करेंगे। बैठकः साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार अनिवार्य रूप से होगी और आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बैठक बुलायी जा सकती है। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जायेगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

सूचना अवधि:— साधारण सभा की साधारण बैठक की सूचना सभी सदस्यों को दस दिन पूर्व दे दी जायेगी एवं विशेष बैठक की राूचना 24 घण्टे के अन्दर दे दी जायेगी।

गणपूर्तिः साधारण सभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 2/3 भाग होगा। बैठक स्थिगत हो जाने पर अगली बैठक के लिये कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

वार्षिक अधिवेशन की तिथि:— विशेष वार्षिक बैठक वर्ष में एक बार जून माह में अवश्य बुलायी जायेगी। चुनाव व्यवस्था से संबंधित प्रश्न एवं समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये विचार—विमर्श किया जायेगा।

साधारण समा के अधिकार / कर्तव्यः-

साधारण सभा के निम्न कर्तव्य होंगे।

- 1. प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना।
- 2. संस्था का दार्षिक बजट पास करना।
- संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
- 4. संशोधन 2/3 बहुमत से पास करना।
- 5. संस्था की चल एवं अचल सम्पत्ति की देखभाल करना।
- 6. भावी योजनाओं पर विचार करना एवं उनकी स्वीकृति करना।
- 7. उप समितियों का गुठन करना अध्यक्ष की अनुमित से आदि।

क्रमशः.....



ब्युक्क रचित्रक बीवाइटीय तथा विष्

प्रबन्धकारिणी समिति:—

गठनः प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों के आधार पर होगा जिसमें 4 पदाधिकारी एवं 5 सदस्य और कुल की संख्या 9 की होगी।

सूचना अविधः प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सभी पदाधिकारियों को कम से कम 7 दिन पूर्व देनी होगी और विशेष बैठक की सूचना दो दिन पूर्व देनी आवश्यक होगी।

गणपूर्ति:- प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति कुल सदस्यों के 2/3 के आधार पर होगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति:— प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत रिक्त स्थान या आकरिमक रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के बहुमत के आधार पर शेष काल के लिये की जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्यः-

- संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना।
- 2. दैनिक कार्यों के संचालन की व्यवस्था करना।
- संस्था के हित में सभी प्रकार के प्रयत्न करना।
- 4. संस्था के लिये सम्पत्ति जुटाना एवं दूसरे प्रदेशों एवं देश में प्रतिनिधि भेजना।

कार्यकालः प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल चुनाव तिथि से लेकर पाँच वर्ष का होगा। किन्हीं परिस्थितियों में चुनाव सम्पन्न न हो पाने के कारण पूर्व की कमेटी नये निर्वाचन तक यथावत् कार्य करती रहेगी।

9. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्यः-

अध्यक्ष:-

- अध्यक्ष द्वारा साधारण सभा तथा कार्यकारिणी सिमिति के बैठक को करना तथा मार्गदर्शन करना।
- बराबर मत की दशा में अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत देना।
- 3. कोष से संबंधित कार्य तथा लेखों वे रख-रखाव की व्यवस्था करना।

क्रमशः.....

त्तारक प्रविद्धाः इन्ते तीशाहरीय तथा विद्

March ally Mai Manuella Alan


ymy lan

उपाध्यक्ष:-

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में /अनुमति से संस्था की बैठक बुलाना एवं अध्यक्ष की अनुपरिथिति में सभी दायित्वों एवं कर्तव्यों का पालन करना जिन्हें अध्यक्ष कार्य करने के लिये लिखित रूप से अधिकृत करें।

मंत्री / प्रबन्धक

- 1. साधारण सभा तथा कार्यकारिणी की बैठक बुलाना तथा बैठक की सूचना अध्यक्ष को देना।
 - संबंधित विभाग से सम्पर्क करना, संस्था के हितों की पूर्ति करना। अध्यक्ष की अनुमति से लेखा-जोखा की जांच करना। बैठक की कार्यवाही लिखना एवं अध्यक्ष से प्रमाणित कराना। समिति की ओर से पत्राचार करना तथा कार्यालय चलाना। संस्था के वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना, पदोन्नति करना, कदाचार के लिये निकालना तथा मार्गदर्शन करना।



- संस्था के सभी बैठकों को बुलाना, अनुमोदन करना और स्वविवेक से किसी भी 7. निर्णय को रोकना, रद्द करना और संस्था हित के लिये कार्य करना।
- संस्था के चलअचल सम्पत्ति की रक्षा करना नई सम्पत्ति को खरीदना एवं विक्रय करना।

प्रबन्धकारिणी समिति का कोषाध्यक्ष आय-व्यय का लेखा-जोखा कोषाध्यक्ष:--तैयार करना।


10. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया:-

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा के सभी प्रकार के सदस्यों के 2/3 बहुमत के आधार पर किया जायेगा।

11. संस्था का कोष:-

संस्था कोष किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से जमा किया जायेगा जिसको निकालने के लिये मंत्री / प्रबन्धक का हस्ताक्षर होना आवश्यक होगा।

क्रमशः.....





12. संस्था के आय—व्यय का लेखा—जोखा परीक्षण (आडिट):—

संस्था के वर्ष भर के आय-व्यय का आडिट साधारण सभा की राय से चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा। वर्ष 01 अप्रैल से प्रारम्भ होगा तथा 31 मार्च को समाप्त होगी।

13. संस्था द्वारा अथदा उनके िरूद अदालती कार्यवाही के संचालन का दायित्व:—
संस्था के समस्त विधिक कार्यवाही मंत्री / प्रबन्धक द्वारा की जायेगी। समस्त
मुकदमों के पैरवी चाहे संस्था के ऊपर की गयी हो या संस्था के द्वारा दायर की
गयी हो मंत्री / प्रबन्धक द्वारा की जायेगी।

14. संस्था के अभिलेख:-

संस्था के सभी लेनदेन लेखों में रखे जायेंगे। इसके लिये कार्यवाही रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, स्टाफ रजिस्टर, कैशबुक आदि संस्था द्वारा अनिवार्य रूप से रखे जायेंगे।

15. संस्था का विघटन:-

संस्था के विघटन की समस्त कार्यवाही सोसाइटी रिजस्ट्रेशन एक्ट के धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।



सत्यप्रतिलिपि

हस्ताक्षर

2/22011 214

MKai.

(m) (21 (F4

(Aslay

गुलाब राप

गीता राप

सुकरि दुमार राम

दुर्गेड़े। राभ

सम्य प्रतिविधि

वहायक र्राजस्ट्राः केव क्रम कर्म्य तथा बोसाक्क



> बहाउच निवश्यम **समितियाँ** क्सर प्रदेश, गोश्च**वुर**

असीतीय प्रमान

regulate 10% fore the
